

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,  
अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 732 / 2016  
आर.सी.टी.नंबर 100474 / 2016  
संस्थान दिनांक 30.11.2016

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी,  
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. राकेश पिता टेकलिया, आयु 21 वर्ष,  
निवासी छीपीपानी साँगवी, थाना ऊन, जिला-खरगोन (म.प्र.)
2. संजय उर्फ संजु पिता मुन्ना भील, आयु 20 वर्ष,  
निवासी कुकड़ा बैड़ा (ओझर) थाना नागलवाड़ी,
3. अनिल पिता नत्थु, आयु 21 वर्ष,  
निवासी कुकड़ा बैड़ा (ओझर) थाना नागलवाड़ी,
4. नबु पिता हबा भील, आयु 31 वर्ष,  
निवासी साँगवी, थाना ऊन, जिला-खरगोन (म.प्र.)
5. निकेश उर्फ कालू पिता स्व. ओमप्रकाश चौधरी, उम्र-26 वर्ष,  
निवासी केली, थाना ऊन, जिला-खरगोन (म.प्र.)
6. राजेन्द्र पिता देवराम भीलाला, उम्र-19 वर्ष, निवासी बैड़ीपुरा,  
बरुफाटक, थाना ठीकरी, जिला-बड़वानी (म.प्र.)
7. गौरेलाल पिता वालसिंह भील, निवासी कुकड़ा बैड़ा (ओझर)  
थाना नागलवाड़ी, ( आरोपी फरार)

-----अभियुक्तगण

राज्य द्वारा	—	श्री श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ.।
अभियुक्तगण द्वारा	—	श्री एल.के.जैन, श्री बंसल, श्री कर्मा अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 14.10.2017 को घोषित )

01. पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 264 / 2016 के आधार पर आरोपी राकेश, संजय, अनिल, राजेन्द्र एवं नबा के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 457, 380 एवं आरोपी निकेश उर्फ कालू के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 411 का अपराध विचारणीय है।

**02.** प्रकरण में स्वीकृत तथ्य नहीं है। आरोपी गौरेलाल पिता वालसिंह के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में अभियोग पत्र पेश किया गया है उसे न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2016 को उसे फरार घोषित किया गया है।

**03.** अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 19.08.2016 को फरियादी संजय शर्मा ने थाना ठीकरी में अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बरुफाटक में शर्मा किराना स्टोर्स के नाम से पंजाब नेशनल बैंक बस स्टेण्ड के सामने में होकर किराना दुकान है। दिनांक 18.08.2016 को रात्रि लगभग 08:00 वह अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह लगभग 07:00 बजे उसकी दुकान के सामने रहने वाले बंशीलाल दूध वाले ने मोबाईल फोन पर बताया था कि दुकान पर चोरी हो गई है तब वह तत्काल दुकान पर आया और देखा कि उसकी दुकान की दक्षिण दिशा की दीवार तोड़कर अज्ञात बदमाश दुकान में रखा किराना सामान बादाम, काजू, मुंगफली दाना, खड़ी सुपारी, घी व तेल के डब्बे, बीड़ी, सिगरेट, शक्कर के कट्टे, साबुन, पावडर, पान मसाला, चॉदी के सिक्के व चिल्लर तथा इन्वर्टर बैटरी आदि चुरा कर ले गये। उसने आप पास तलाश की, नहीं मिलने पर वह रिपोर्ट करने आया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी पर अपराध क्रमांक 262/16 दर्ज कर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर उनकी सूचना के आधार पर चोरी की संपत्ति उनके आधिपत्य से जप्त की गई। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

**04.** अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त निकेश उर्फ कालू के विरुद्ध धारा-411 भा.द.सं. एवं शेष अभियुक्तों के विरुद्ध 457, 380 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

**05.** प्रकरण में विचारणीय निम्नलिखित है कि :-

1. क्या दिनांक 19.08.2016 संजय शर्मा की किराना दुकान बरुफाटक में मध्य रात्रि के समय उसकी दुकान जो संपत्ति की अधिरक्षा के उपयोग में आती है कि दीवार तोड़कर रात्रि गृह भेदन तथा वहां रखे किराना सामान बादाम, काजू, मुंगफली दाना, खड़ी सुपारी, घी व तेल के डब्बे, बीड़ी, सिगरेट, शक्कर के कट्टे, साबुन, पावडर, पान मसाला, चॉदी के सिक्के व चिल्लर तथा इन्वर्टर बैटरी आदि की चोरी हुई थी ?
2. क्या उक्त गृह भेदन एवं चोरी आरोपीगण राकेश, संजय, अनिल, राजेन्द्र एवं नबा द्वारा की गई ?

3. क्या आरोपी निकेश उर्फ कालू ने उक्त चुराई गयी संपत्ति बादाम, काजू, मुंगफली दाना, खड़ी सुपारी, घी व तेल के डब्बे, बीड़ी, सिगरेट, शक्कर के कट्टे, साबुन, पावडर, पान मसाला, चॉदी के सिक्के व चिल्लर तथा इन्वर्टर बैटरी आदि यह जानते हुये कि वह चोरी की संपत्ति है। बेईमानीपूर्वक आशय से प्राप्त की ?

### **साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में**

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में संजय शर्मा (अ.सा.01) का कथन है कि घटन पिछले वर्ष रक्षा बंधन के समय की है। उसकी शर्मा किराना स्टोर्स के नाम से बरूफाटक में किराना दुकान है। घटना वाली रात को लगभग 08:30 बजे वह दुकान बंद करके अपने घर चला गया था। सुबह लगभग 07:00 बजे उसकी दुकान के आप पास रहने वाले बंशीलाल माली ने उसे फोन से दुकान में चारी हो जाने की सूचना दी। उसने दुकान पर जाकर देखा कि चोर उसकी दुकान की साईड वाली दीवार खोद कर अंदर घुस गये थे तथा दुकान के अंदर से रात्रि में बादाम, काजू, मुंगफली दाना, खड़ी सुपारी, घी व तेल के डब्बे, बीड़ी, सिगरेट, शक्कर के कट्टे, साबुन, पावडर, पान मसाला, व चिल्लर तथा इन्वर्टर बैटरी आदि चुराकर ले गये उसने आपपास चोरी के सामान की तलाश की, नहीं मिलने पर थाना ठीकरी पर घटना की रिपोर्ट **प्रदर्श पी-1** की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस को घटना स्थल बताया था। नक्शा मौका **प्रदर्श पी-2** है। आरोपीगण की ओर से किये गये प्रतिरीक्षण में साक्षी को यह सुझाव नहीं दिया गया कि उसकी दुकान में चारी नहीं हुई थी।

07. आर.के. वाजपेयी (अ.सा.05) ने दिनांक 19.08.2016 को थाना ठीकरी में फरियादी संजय शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर थाने पर अपराध क्रमांक 262/16 **प्रदर्श पी-1** का दर्ज करने के और उसके जिसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। इस साक्षी को भी बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया कि फरियादी ने उसकी दुकान में चोरी होने की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक, स्थान और समय पर फरियादी संजय शर्मा की किराना दुकान की दीवार तोड़कर रात्रि गृह भेदन तथा वहाँ रखे किराना सामान बादाम, काजू, मुंगफली दाना, खड़ी सुपारी, घी व तेल के डब्बे, बीड़ी, सिगरेट, शक्कर के कट्टे, साबुन, पावडर, पान मसाला, चॉदी के सिक्के व चिल्लर तथा इन्वर्टर बैटरी आदि की चोरी हुई थी।

### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 के संबंध में**

08. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सुरेन्द्र सिंह कनेश (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 19.08.2016 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 262/16 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी तो उसने घटना स्थल पहुचकर नक्शा मौका **प्रदर्श पी-2** का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने

दिनांक 17.09.2016 को आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर साक्षी मंशाराम और बंशीलाल के समक्ष पूछताछ की थी तो उसने बरूफाटक की किराना दुकान से किराना सामान, और इन्वर्टर की बैटरी आरोपी राजेन्द्र की पिकअप क्रमांक एम.पी. 46 जी. 1040 में ले जाकर आरोपी निकेश उर्फ कालू चौधरी के मकान में रखना तथा उसे बेचने के लिये देना बताया था। जिसका मेमोरेण्डम उसने साक्षियों के समक्ष **प्रदर्श पी-7** का बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके और डी से डी भाग पर आरोपी राकेश के हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि निकेश उर्फ कालू को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ की थी तो उसने आरोपी संजय, अनिल, नबा और राकेश द्वारा चोरी की सुपारी, शक्कर, बादाम, चायपत्ती और इन्वर्टर की बैटरी लाकर देने तथा अपने किराये के मकान में छिपाकर रखना बताया था। जिसका मेमोरेण्डम उसने **प्रदर्श पी-6** का बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी निकेश उर्फ कालू के बताये स्थान कसरावद फाटा निमरानी आरोपी के कब्जे से 5 बोरी शक्कर प्रत्येक बोरी में 50 किलो, 80 किलो सुपारी, 15 किलो बादाम, चायपत्ती के 30 पैकेट, 1 इन्वर्टर की बैटरी **प्रदर्श पी-8** के अनुसार जप्त की थी जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी राजेन्द्र को गिरफ्तार कर उसके द्वारा अपराध में प्रयुक्त पिकअप वाहन एम.पी.46 जी. 1040 **प्रदर्श पी-9** के अनुसार जप्त किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09. साक्षी का यह भी कथन है कि उसने दिनांक 19.09.2016 को आरोपी संजय, नबा और अनिल की गिरफ्तारी न्यायालय से अनुमति लेकर की थी। उसने उक्त दोनों आरोपीगण से पूछताछ की थी तो उन्होंने चोरी की संपत्ति आरोपी राजेन्द्र की पिकअप वाहन एम.पी.46 जी. 1040 से ले जाकर आरोपी निकेश उर्फ कालू के मकान में रखना और उसे बेचने के लिये देना बताया था जिसका मेमोरेण्डम **प्रदर्श पी-11, प्रदर्श पी-12 और प्रदर्श पी-13** का उसने बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने आरोपी संजय और अनिल से घटना स्थल की तस्दीक करवाकर पंचनामा **प्रदर्श पी-14 और प्रदर्श पी-15** के बनाये थे जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी संजय तथा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जिस मकान से माल जप्त किया वह मकान आरोपी ने महेन्द्र का बताया था। उसने मकान मालिक से पूछताछ नहीं की। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जप्त किया माल बाजार में मिलता है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने समस्त गिरफ्तारी जप्ती और मेमोरेण्डम थाने पर बैठकर बनाये थे अथवा उसने आरोपी निकेश उर्फ कालू से कोई सामान जप्त नहीं किया था अथवा उसने असत्य कार्यवाही आरोपीगण को फंसाने के लिये की हैं। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि कोरे पंचनामे पर साक्षियों के हस्ताक्षर करवाये थे।

10. बंशीलाल (अ.सा.2.), मंशाराम (अ.सा.03), ददूसिह (अ.सा.06) आरोपीगण के मेमोरेण्डम तथा जप्ती पंचनामे के साक्षीगण हैं किन्तु उक्त साक्षी ने आरोपीगण को पहचानने तथा उनके सामने आरोपीगण से कोई पूछताछ करने या आरोपी निकेश से चोरी की संपत्ति जप्त करने से स्पष्ट रूप से इंकार करके अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है। साक्षीगण ने केवल **प्रदर्श पी-3** से लेकर **प्रदर्श पी-15**

के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। उक्त सभी साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों से स्पष्ट रूप से इंकार किया है तथा उनके सामने आरोपी राकेश, संजय, अनिल से चोरी के बारे में पुलिस द्वारा पूछताछ करने आरोपी राजेन्द्र की पिकअप वाहन जप्त करने और निकेश उर्फ कालू के निवास स्थान से शेष आरोपीगण की सूचना के आधार पर चोरी की संपत्ति 5 बोरी शक्कर प्रत्येक बोरी में 50 किलो, 80 किलो सुपारी, 15 किलो बादाम, चायपत्ती के 30 पैकेट, 1 इन्वर्टर की बैटरी **प्रदर्श पी-8** के अनुसार जप्त करने से स्पष्ट इंकार किया। साक्षियों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल थाने पर उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। वे लोग पुलिस के साथ कहीं भी जप्ती करने नहीं गये थे तथा पुलिस ने उनके सामने किसी व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की थी।

**11.** ऐसी स्थिति में जबकि आरोपीगण के मेमोरेण्डम और जप्ती पंचनामे के साक्षीगण पक्ष विरोधी रहे और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया तो विवेचना अधिकारी की एक मात्र साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण राकेश, संजय, अनिल, राजेन्द्र एवं नबा ने घटना दिनांक, स्थान और समय पर फरियादी संजय शर्मा की बरूफाटक स्थित शर्मा किराना दुकान जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आती है में से मध्य रात्रि के समय दीवार तोड़कर रात्रि गृह भेदन कारित किया तथा वहाँ रखे किराना सामान बादाम, काजू, मुंगफली दाना, खड़ी सुपारी, घी व तेल के डब्बे, बीड़ी, सिगरेट, शक्कर के कट्टे, साबुन, पावडर, पान मसाला, चाँदी के सिक्के व चिल्लर तथा इन्वर्टर बैटरी आदि की चोरी की। यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी निकेश उर्फ कालू ने उक्त चोरी के संपत्ति यह जानते हुये कि वह चुराई गई संपत्ति है, बेईमानीपूर्वक आशय से प्राप्त की।

**12.** इस प्रकार अभियोजन आरोपीगण राकेश, संजय, अनिल, राजेन्द्र एवं नबा के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 457, 380 और निकेश उर्फ कालू के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 411 का अपराध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी निकेश उर्फ कालू को भा0दं0सं0 की धारा 411 एवं शेष आरोपीगण को भा0दं0सं0 की धारा 457, 380 के अपराध संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करता है। आरोपी संजय उर्फ संजु पिता मुन्नालाल, निवासी कुकड़ा बैड़ा (ओझर) थाना नागलवाड़ी जिला बड़वानी अभिरक्षा में है उसका रिहाई आदेश जारी हो। शेष आरोपीगण के जमानत और मुचलके मारमुक्त किये जाते हैं।

**13.** आरोपीगण की अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.स. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये। चूंकि आरोपी गौरेलाल पिता वालसिंह भील, निवासी कुकड़ा बैड़ा (ओझर) थाना नागलवाड़ी, फरार है इसलिये जप्त संपत्ति के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

